

By 207/SGP/2/2014
6/3/2014

No.VI.23014/132/2013-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

By Speed Post
RTI Matter
(To be issued in Hindi)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road, New Delhi
Dated: 4th March, 2014

To

Shri Shyam Sunder Sharma,
C/o Right to Information, Task Force Office,
Md. Khalil Shakti, Near Amba Talkies Mode,
Shahjahanpur.

Subject: Application under the RTI Act-2005.

Sir,

Please refer to your online RTI application dated 14.01.2014 received in this unit on on transfer on 13.02.2014.

2. With reference to point Nos.(1) to (4) of your application, it is stated that the responsibility for providing security to individuals, including RTI Activists, rests primarily with the State Government concerned, in whose jurisdiction such individual is ordinarily resident or happens to be. The security is provided on the basis of threat assessment carried out by the security agencies. Security to an individual is not provided solely on the basis of his/her being a RTI Activist etc. However, information sought by you may be related to CS Division, MHA and DOP&T. A copy of your RTI application has already been forwarded to DOP&T vide RTI Cell, MHA's OM No.A-43020/01/2014 dated 10.02.2014. A copy of your application is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act-2005 to CS Division, MHA for providing requisite information directly to you.

3. With regard to point No.(5) of your application, it is stated that this unit has not issued letter dated 24.06.2013 referred to by you. However, a copy of your application is being forwarded to all CPIOs of MHA for providing requisite information directly to you, if any, available with them.

4. As regards point No.(6) of your application, it is stated that the subject matter may be related to Government of U.P. Accordingly, a copy of your application is also being forwarded to Government of U.P. You are requested to approach PIO of State Government of U.P. for the requisite information.

5. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110 001.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
Tele:23438120
Fax:011-23438077

5.3.14
Sc [PP] I/C
SIB

Copy to:

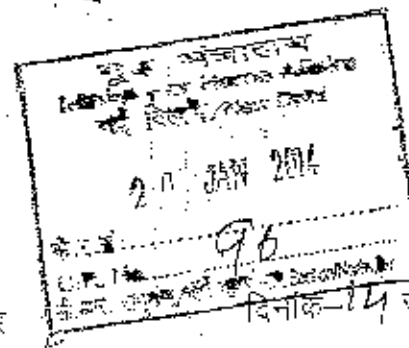
1. Shri K. Murlidharan, Director(CS) & CPIO, CS Division, MHA, NDCC-II Building, New Delhi along with a copy of RTI application dated 14.01.2014 of Shri Shyam Sunder Sharma for further necessary action.
2. Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow along with a copy of RTI application of Shri Shyam Sunder Sharma.

Copy transferred under Section 6(3) of the RTI Act-2005 to:

All CPIOs of MHA (Proper) as per list enclosed.

सेवा में

मा० जनसूचना अधिकारी/गृह सचिव,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली



पत्रांक सं०-563/सू०अ०अधि०-2005/शाहजहाँपुर

दिनांक-14 जनवरी, 2014

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन-
नहीं दिया।

निवेदन है कि प्रार्थी की जानकारी में आया है कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त कतिपय प्रदेशों में आर०टी०आई० एक्टिविस्टों के ऊपर हमले की घटनाओं को दृष्टिगत कर आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थी भी आर०टी०आई० एक्टिविस्ट है जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित निम्न जानकारी की आवश्यकता है:

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के तहत दो गई निर्धारित अवधि में निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

वांछित शुल्क 10/-रु० हेतु पॉस्टल आर्डर सं०-69C 747394 मूल
69C 747395 रूप में संलग्न है।

आपेक्षित सूचना का विवरण:-

1. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक किस-किस दिनांक को किस-किस नाम के अधिकारी/दो द्वारा आदेश पारित किये गये बताते हुए पारित आदेशों की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा करें।
2. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेशों का प्रभाव क्या सम्पूर्ण भारत वर्ष में है अथवा किसी प्रदेश में बताने की कृपा करें।
3. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेशों का प्रभाव यदि किसी प्रदेश में नहीं है तो उस प्रदेश का नाम बताने की कृपा करें।
4. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों पर होने वाले हमलों से एक्टिविस्टों को किस प्रकार की सुरक्षा उपरोक्त आदेश से प्राप्त होगी बताने की कृपा करें।
5. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेश को छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा करें।
6. क्या उत्तर प्रदेश में आर०टी०आई० एक्टिविस्टों से सम्बन्धित जनपद वार्ड लिस्ट बनाई गयी है। यदि हाँ तो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर आर०टी०आई० एक्टिविस्टों से सम्बन्धित लिस्ट की छाया प्रति को दो प्रतियों में प्रमाणित कर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्न:-

1. उक्त पॉस्टल आर्डर मूल रूप में।

नोट:- यदि प्रार्थी द्वारा मंगी जा रही सूचना या उससे किसी अंश का सम्बन्ध किसी अन्य लोग/प्राधिकरण से है तो कृपया सू०अ०अधि०-2005 की धारा 6(3) के नियमानुसार कार्यवाही करने की करें।

प्रार्थी

Shyam Sunder Sharma
श्याम सुन्दर शर्मा

C/O सूचना का अधिकार, टास्क फोर्स कार्यालय,
मो० खलील शर्की, निकट-अम्बा टाफीज मोड,
शाहजहाँपुर

73/15/1/2014
03/02/14

DRAFT

244/4

14.1.14

F.No.5/14/2014-PP(Dir.PP)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Policy Planning Division



A Wing, 3rd Floor,
NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi.

Dated, March 6, 2014

Speed Post

06 MAR 2014

Shri Shyam Sunder Sharma,
C/o Right to Information, Task Force Office,
Md. Kalil Sharki, Near Amba Talkies Mode,
Shahjahanpur.

Subject: Application under the RTI Act – 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application No.503/RTI-2005/Shahjahanpur dated 14.02.2014 regarding information on security to RTI activists etc. A copy of your RTI application has been forwarded to this Division by Director (VS) & CPIO vide letter No.VI.23014/132/2013-VS dated 04.03.2014.

2. With reference to information sought by you in your RTI application, it is stated that in so far as the work of this Division under purview of the undersigned is concerned, the information may be treated as 'nil'. Hindi version of this reply will follow.

3. Hindi version will follow.

Yours faithfully,

(CPS Nonghulo)

Director (PP)

Tel.No.2343 8104

Fax No.2343 8109

Agreed

o/c

फ0 सं0 5/14/2014-पी.पी (निदे0पी0पी0)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नीति नियोजन प्रभाग

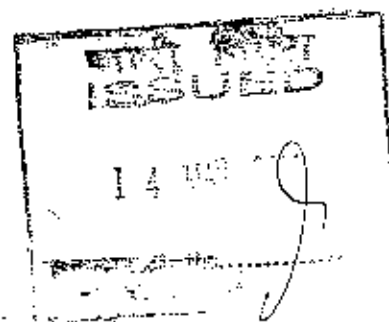
14 MAR 2014

16 MAR 2014

ए विंग0 तृतीय तल,
एन0डी0सी0सी0-11 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक: मार्च, 2014

सेवा में,

श्री श्याम सुन्दर शर्मा,
मार्फत सूचना का अधिकार, टास्क फोर्स ऑफिस,
मो0 खलील शर्की, निकट अम्बा टाकीज मोड़,
शाहजहांपुर।



विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन - के संबंध में।

महोदय,

कृपया आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं आदि को सुरक्षा संबंधी सूचना के बारे में आपके दिनांक 14.02.2014 के आर0टी0आई0 आवेदन सं0 503/आर0टी0आई0-2005/शाहजहांपुर का संदर्भ लें। आपके आवेदन की एक प्रति इस प्रभाग के निदेशक (वी0एस0) एवं सी0पी0आई0 ओ0 द्वारा दिनांक 04.03.2014 के पत्र सं0 VI.23014/132/2013-वी0एस0 के तहत अग्रेषित की गई है।

2. आपके आर0टी0आई0 आवेदन में मांगी गई सूचना के संदर्भ में यह बताया जाता है कि जहां तक अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार के अधीन इस प्रभाग के कार्य का संबंध है, यह सूचना 'शून्य' समझी जाए।

भवदीय,

महोदय
(सी0पी0एस0 नांगुलु)

निदेशक (पी0पी0)

दूरभाष सं0 23438104

फैक्स सं0 23438109

का/पु.
जारी किया